अध्याय IV : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

4.1 शिक्षण साधन भत्ते पर अप्राधिकृत व्यय

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने संकाय सदस्यों तथा ग्रुप 'क' के अधिकारियों को शिक्षण साधन भत्ते की प्रतिपूर्ति की।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संस्थान) अप्रैल 2000 से अपने संकाय सदस्यों को ₹ 20,000 प्रतिवर्ष तक शिक्षण साधन भत्ते (शि.सा.भ.) की प्रतिपूर्ति कर रहा था। यह भत्ता संकाय सदस्यों को वैज्ञानिक समितियों में नामांकन कराने तथा पुस्तकें, जर्नल और अन्य शिक्षण साधन सामग्री का क्रय करने में सहायता के उद्देश्य से दिया जाता था।

संस्थान ने अपनी स्थायी वित्त समिति (स्था.वि.स.) के अनुमोदन से (दिसम्बर 2002) अपने ग्रुप 'क' के अधिकारियों को ₹ 10,000 प्रतिवर्ष तक शि.सा.भ. का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया। इस प्रस्ताव को इसके नियंत्रक निकाय द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद मंत्रालय के अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया गया था। इस प्रस्ताव में संकाय सदस्यों के शि.सा.भ. को बढ़ाकर ₹ 24,000 प्रतिवर्ष करने के लिए भी अनुमोदन माँगा गया था।

मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके इस प्रस्ताव पर विचार किया और संस्थान को सूचित किया (जुलाई 2004) कि शि.सा.भ. की वर्तमान योजना को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और इसके बजाय संकाय सदस्यों/ग्रुप 'क' के अधिकारियों को अपने कार्य से संबंधित पुस्तकें या जर्नल क्रय करने हेतु पुस्तकालय प्रशासन को मांगपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। इसने संस्थान को यह भी सलाह दी कि वह एक विशेषज्ञ समिति गठित करे जो संकाय सदस्यों/ग्रुप 'क' अधिकारियों के कार्य संबंधी व्यवसायिक समितियों या निकायों की सूची तैयार करेगी और संस्थान ऐसी समितियों को सीधे ही भुगतान किया करे।

मामले को पहले दिसम्बर 2004 में (अक्तूबर 2004 में स्थायी वित्त समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात) और दुबारा सितम्बर 2005 में (जुलाई 2005 में नियंत्रक निकाय से अनुमोदन मिलने पश्चात) संकाय सदस्यों के शि.सा.भ. की सीमा बढ़ाकर ₹ 36,000 प्रतिवर्ष करने और समूह 'क' अधिकारियों को शि.सा.भ. की अनुमति देने

हेतु मंत्रालय के पास बारबार भेजा गया था। प्रस्ताव को मंत्रालय ने स्वीकार नहीं था (दिसम्बर 2005)।

तथापि, संस्थान ने शि.सा.भ. का भुगतान जारी रखा और मार्च 2009 से दिसम्बर 2011 तक शि.सा.भ. पर किया गया व्यय ₹ 3.22 करोड़ था। 2009–10 के पूर्व किए गए व्यय के अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए गए थे।

संस्थान ने बताया (मई 2013) कि अ.भा.आ.सं. अधिनियम 1956 के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वित्त प्रस्ताव या स्था.वि.स. की सिफारिशों को अनुमोदन हेतु मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए, जब तक कि स्था.वि.स. स्वयं उसे अग्रेषित न करे। संस्थान ने यह भी बताया कि शि.सा.भ. हेतु प्रस्ताव संघ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को उनके संस्थान के अध्यक्ष के रूप में भेजा गया था और इसे मंत्रालय को शि.सा.भ. हेतु कोई संदर्भ नहीं दिया किया गया था। इस प्रकार शि.सा.भ. के अनुदान और इसे जारी रखने में कोई अनियमितता नहीं थी।

संस्थान का उत्तर अ.भा.आ.सं. अधिनियम, 1956 के उपबन्ध 25 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, जो अनुबंधित करता है कि संस्थान केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम को प्रभावी ढ़ग से लागू किए जाने हेतु जारी किए निर्देशों को क्रियान्वित करेगा। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को प्रस्ताव को अनुमोदित करने के अनुरोध के साथ पत्र स्पष्ट रूप से भेजे गए थे और यही उचित था कि मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय से परामर्श के बाद अस्वीकार कर दिए जाने पर ऐसे भुगतानों की प्रक्रिया को तुरंत रोक देना चाहिए था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि संस्थान की स्था.वि.स. में अपना प्रतिनिधि होने के बावजूद मंत्रालय संस्थान को रोकने में विफल रहा, जिसने इसके निर्देशों का उल्लंघन करना जारी रखा।

यह मामला मंत्रालय को दिसम्बर 2012 में प्रेषित किया गया था; जून 2013 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

4.2 शल्य चिकित्सीय मदों के प्रापण पर अधिक भुगतान

निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ करने में विलम्ब का परिणाम उच्चतर दरों पर शल्य चिकित्सीय मदों के प्रापण ₹ 51.53 लाख के परिहार्य भुगतान में परिणित हुआ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संस्थान) अपने अधिदेश कार्यों के अंतर्गत इसके मुख्य अस्पताल (विभिन्न विभागों तथा वार्डों से बने) तथा छः केन्द्रों[1] के माध्यम से रोगी की देखभाल तथा अनुसंधान के कार्य करता है। संस्थान विकेन्द्रीकृत क्रय प्रणाली का अनुपालन करता है जिसने मुख्य अस्पताल तथा सभी केन्द्रों/विभागों के अलग-अलग बजट आवंटन है। तथापि, आम शल्य चिकित्सीय तथा अन्य मदें जो मुख्य अस्पताल तथा संस्थान के विभिन्न केन्द्रों में आवश्यक है, के प्रापण हेतु दर अनुबंध के भण्डार अनुभाग (निदेशक कार्यालय (नि.का.) द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा सूचित आवश्यकता के आधार पर केन्द्रीयकृत विधि के आधार पर किया जाता है।

भण्डार अनुभाग (भ.अ.) ने छः मदों[2] की आपूर्ति हेतु तीन फर्मों के साथ 13 मई 2008 (दो फर्म) तथा 1 फरवरी 2008 (एक फर्म) के साथ दो वर्षों की अवधि के लिए दर अनुबंध किया था। इन मदों पर अनुबंध क्रमशः जनवरी 2010 तथा मई 2010 में समाप्त हुआ।

अगले अनुबंध हेतु प्रक्रिया नवम्बर 2009 में प्रारम्भ की गई थी, तथा दो वर्षों से अधिक का समय लेकर दिसम्बर 2011 में इसे अंतिम रूप दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया संस्थान ने यह सुनिश्चित करने हेतु कि वर्तमान अनुबंध की समाप्ति से पूर्व नए दर अनुबंधों को अंतिम रूप दिया जाए, समय रहते निविदा जांच प्रारम्भ नहीं की थी।

परिणामस्वरूप, शल्य चिकित्सीय भण्डार ने नए अनुबंधों को अंतिम रूप देने से पहले, जो दिसम्बर 2011 तथा मार्च 2012 में लागू किए गए, इन मदों की स्थानीय खरीद की। इसके अतिरिक्त, कुछ केन्द्रों अर्थात् संस्थान रोटरी कैंसर अस्पताल (सं.रो.के.अ.), डॉ. आर.पी. नेत्र-विज्ञान केन्द्र तथा जे.पी.एन. ट्रॉमा केन्द्र ने भी दर अनुबंध के अभाव में सीमित निविदा जांच के माध्यम से मदों का प्रापण किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन केन्द्रों ने मदों हेतु बहुत कम दरें अदा की थी। नीचे ग्राफ अक्तूबर 2010 से दिसम्बर 2011 की अवधि के दौरान विभिन्न प्रबंधनों के अंतर्गत संस्थान द्वारा अदा की गई तुलनात्मक दरों को दर्शाता है।

---

[1] कार्डियोथोरेसिस तथा न्यूरोविज्ञान केन्द्र, जय प्रकाश नारायण शीर्ष ट्रॉमा केन्द्र, रॉटरी कैंसर अस्पताल, नेत्र-विज्ञान केन्द्र तथा दंत्य शिक्षा एंव अनुसंधान केन्द्र तथा व्यवहार्य विज्ञान केन्द्र

[2] गेज एबजोर्बेन्ट थान (एक पतली ढ़ीली बुनी हुई शल्य चिकित्सीय पट्टी), उदर स्पंज (20 से.मी x 20 से.मी तथा 30 से.मी. x 30 से.मी.), रोलर बैंडेज 4"x4" इंच तथा 6"x 4") तथा स्किन स्टैपलर

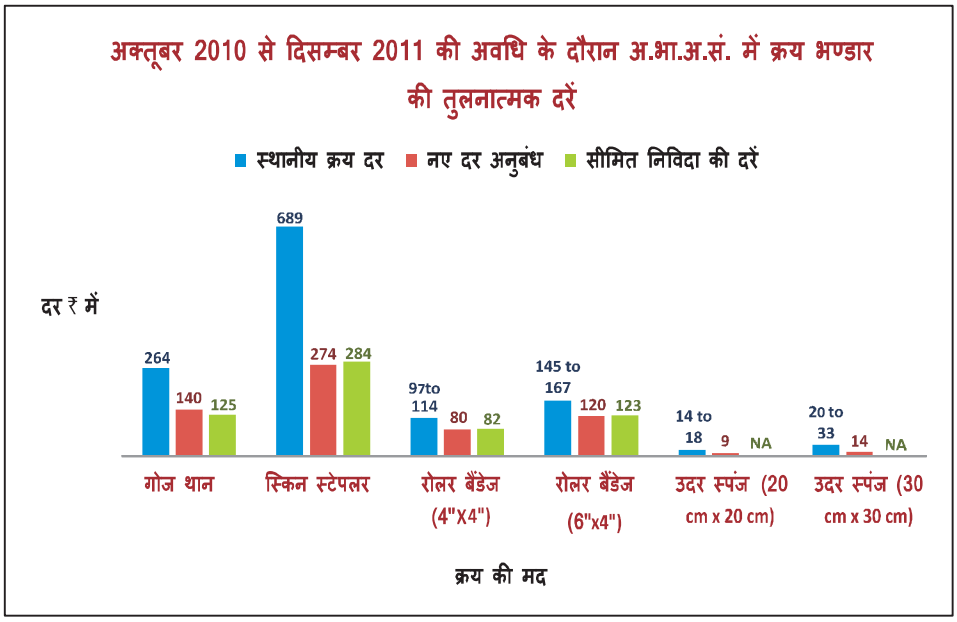

इस प्रकार शल्य चिकित्सीय भण्डार ने महत्वपूर्ण रूप से ऊंची दरों पर मदों का प्रापण किया। इसके द्वारा किए गए भुगतान, केन्द्रों द्वारा किए प्रापणों की तुलना में 18 *प्रतिशत* से 152 *प्रतिशत* तक अधिक थे। अगर नई दर संविदा से दरों की तुलना की जाए तो अंतर काफी अधिक था। इस प्रकार, संस्थान ने इन शल्य चिकित्सीय मदों का प्रापण उच्च दरों पर किया, जिसका परिणाम ₹ 51.53 लाख के परिहार्य भुगतान में हुआ। वर्णन **तालिका-क** में दिया गया है।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2013) कि अनेक मदों हेतु दर अनुबंध को अंतिम रूप देना एक जटिल प्रक्रिया है जो समाप्त होने में 9 से 12 महीनों का समय लेती है। तथापि, इस मामले में भण्डार अनुभाग (भ.अ.) के नियंत्रण से परे प्रशासनिक तथा अन्य कारणों के साथ-साथ रूई की दर में असमान्य वृद्धि के कारण जो कि इन मदों में प्रयोग होती है, दर संविदा को समय पर निर्णित नहीं किया जा सका। इसने यह भी बताया कि अस्पताल भण्डार ने तत्कालिक आवश्यकताओं का प्रबंधन करने हेतु तुरन्त आवश्यकता के मामले में स्वीकृत स्थानीय क्रय औषधि विक्रेता के माध्यम से क्रय किया गया जिससे कि मरीज देखभाल बाधित न हो।

विभाग का उत्तर यह तथ्य स्थापित करता है कि संस्थान ने दर अनुबंधों को निर्णित करने हेतु सामयिक कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी। इसके अतिरिक्त दर संविदाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब उच्च दरों पर स्थानीय क्रय किए जाने का कारण भी बना।

मामला मार्च 2013 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2013 तक प्रतीक्षित था।

तालिका-क

राशि ₹ में

क्र.सं.	अवधि	स्थानीय क्रय की दर	खरीदी गई प्रमात्रा	कुल भुगतान	नए दर अनुबंध के अंतर्गत दरें	नए द.अ. के संबंध में किया अधिक भुंगतान	सीमित निविदा जांच के अंतर्गत दर	सी.नि. के संबंध में अधिक भुगतान
1	**2**	**3**	**4**	**5=3*4**	**6**	**7=(3-6)x4**	**8**	**9=(3-8)*4**
				गोज थान				
1.	नवम्बर 2010 - फरवरी 2011	211.2	7000	1478400	139.23	503790	125	603400
2.	मार्च 2011 -दिसम्बर 2011	264	20000	5280000	139.23	2495400	125	2780000
						2999190		**3383400**
				स्किन स्टैपलर				
1.	अक्तूबर 2010 - सितंबर 2011	689.04	2796	1926556	273.87	1160815	283.5	1133890
						1160815		**1133890**
				रोलर बैंडेज 4" X 4"				
	दिसम्बर 2010 - फरवरी 2011	96.8	2000	193600	80.33	32940	82.1	29400
	मार्च- दिसम्बर 2011	114.4	6500	743600	80.33	221455	82.1	209950
						254395		**239350**
				रोलर बैंडज 6" x 4"				
	दिसम्बर 2010 - फरवरी 2011	145.2	2000	290400	120.49	49420	123.14	44120
	मार्च- दिसम्बर 2011	167.2	8000	1337600	120.49	373680	123.14	352480
						423100		**396600**
				उदर स्पन्ज 20 से.मी. x 20 से.मी.				
	नवम्बर 2010	14.08	1005	14150.4	8.8	5306.4		

दिसम्बर 2010	15.84	5100	80784	8.8	35904	
जनवरी 2011	14.08	4200	59136	8.8	22176	
फरवरी 2011	14.08	4200	59136	8.8	22176	
मार्च 2011	15.84	3600	57024	8.8	25344	
अप्रैल 2011	17.6	6300	110880	8.8	55440	
अप्रैल 2011	18.48	2100	38808	8.8	20328	
मई - दिसम्बर 2011	18.48	19500	360360	8.8	188760	
					375434.4	
			उदर स्पन्ज. 30 से.मी X 30 से.मी			
अक्तूबर 2010	23.94	15000	359100	14.3	144600	
नवम्बर 2010	19.54	6000	117240	14.3	31440	
दिसम्बर 2010	26.4	15300	403920	14.3	185130	
जनवरी 2011	19.54	10110	197549.4	14.3	52976.4	
फरवरी 2011	26.4	10200	269280	14.3	123420	
मार्च 2011	26.4	13200	348480	14.3	159720	
अप्रैल 2011	29.04	15300	444312	14.3	225522	
मई-दिसम्बर 2011	32.56	89200	2904352	14.3	1628792	
					2551600	
				कुल	**7764535**	**5153240**